मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 11 जुलाई, 2023 (आषाढ़ 20, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:07 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में उल्लेख

सदन में राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' की शुरूआत होने से पूर्व ही श्री कांतिलाल भूरिया, सदस्य द्वारा सदन में उल्लेख किया गया कि आदिवासी वर्ग के व्यक्तियों पर भयंकर अत्याचार हो रहे हैं जिससे इस वर्ग में आक्रोश व्याप्त है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इस पर उल्लेख किया गया कि प्रतिष्ठा की मानसिकता समझ आ रही है. पहले सदन में राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' तो होने दे एवं सदन की परम्परा तोड़ने में कांग्रेस की इस बात के लिए निंदा करता हूँ.

श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने उल्लेख किया कि तब राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' आरंभ नहीं हुआ था जब यह कथन किया गया इस विषय पर श्री ओमकार सिंह मरकाम, श्री बाला बच्चन सहित अनेक सदस्यों द्वारा व्यवधान के मध्य अपनी-अपनी बात कहते रहे.

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि आप सभी बैठ जाएं एवं विधान सभा की परम्मपरानुसार पहले राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' व निधन का उल्लेख होने दीजिए. आप सभी के पास अपनी बात रखने समुचित समय है हमने शनिवार को भी सदन की बैठक रखी है.

2. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

3. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये :-

(1) श्री मधुकर हर्णे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(2) श्री रमेश शर्मा (गुट्टू भैया), भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(3) श्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(4) श्री रतन लाल कटारिया, पूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(5) श्रीमती निर्मला बुच, पूर्व मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
(6) दिनांक 30 मार्च, 2023 को इन्दौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी की छत धसने से मृत श्रद्धालु,
(7) दिनांक 9 मई, 2023 को खरगौन जिले के डोंगरगांव में बोराड़ नदी पुल से यात्री बस के नीचे गिरने से मृत यात्री, तथा
(8) दिनांक 2 जून, 2023 को ओड़िसा के बालासोर जिले के बहानागा रेल्वे स्टेशन के पास हुए रेल हादसे में हुई जन-हानि.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य द्वारा शोकोदगार व्यक्त किये गये.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.39 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.51 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

4. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 1 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 121 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 147 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा शासकीय चिकित्सालय में शासन की योजना अंतर्गत प्रदाय की गई लाखों रूपयों की सामग्री का विभाग द्वारा कोई उपयोग न किये जाने,

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की नर्मदापुरम नगर के शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय में लगी क्षतिग्रस्त पिचिन के पुर्न: निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति के बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ न कराये जाने,

(3) श्री पी.सी.शर्मा, सदस्य की प्रदेश के शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी / निगम मंडल के पेंशनरों को केंद्रीय तिथि जनवरी 2023 से महंगाई भत्ता न दिये जाने,

(4) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की प्रदेश में लंबे समय से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित न किये जाने

(5) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की रीवा जिले की हनुमना तहसील के ग्राम बरांव के विकास के अधुरे निर्माण कार्यो को पूर्ण न कराये जाने

(6) श्री सुनील सराफ, सदस्य की कोतमा विधान सभा क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनुपपूर में करवाई गई जांच में आरोपित को संरक्षण दिये जाने,

(7) डॉ.गोविंद सिंह, सदस्य की म.प्र. के बाघ संरक्षित क्षेत्रों (टाईगर रिजर्व) में वन्य प्राणी डिप्लोमा प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी की पदस्थापना न होने एवं समुचित देखरेख के अभाव में बाघ एवं तेंदुओं की मौत होने,

(8) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की भोपाल जिले में नवगठित कोलार तहसील में शामिल किए गए 56 ग्रामों को एम.पी.नगर वृत एवं राजधानी परियोजना वृत में शामिल किये जाने,

(9) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की मकरोनिया सिविल लाईन मार्ग पर पुराने सुखे वृक्षों का बरसात में गिरने के कारण विभाग द्वारा कटाव न किये जाने तथा

(10) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की एस.आर.बी.एस. चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी म.प्र. में शासन के नियमों के विरूद्ध मनमानी एवं अनियमित ढंग से अयोग्य /अपात्र चिकित्सकों की नियुक्ति की जाने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

6. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

सीधी जिले में आदिवासी पर हुए अत्याचार की घटना पर चर्चा कराए जाने की मांग की जाना

डॉ. गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया गया कि सीधी जिले में हमारे आदिवासी भाई दशमत को भाजपा प्रतिनिधि द्वारा बुरी तरह से अपमानित किया गया है जिसकी निंदा समूचे देश और प्रदेश में हुई है मैं इस विषय पर चर्चा के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ. इस घटना से हमारे आदिवासी भाईयों एवं देश के नागरिकों की आस्था को ठेस पहुंची है हमने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया है.

श्री कमलनाथ, सदस्य ने उल्लेख किया गया कि प्रदेश में दो करोड़ आदिवासी है इस घटना से हमारा पूरा प्रदेश कलंकित हुआ है यह चिंता का विषय है यह मामला सामने आ गया लेकिन 90 प्रतिशत ऐसे मामले सामने नहीं आते हैं मध्यप्रदेश आदिवासी अत्याचार में नंबर एक पर है. इस पर हमने स्थगन दिया है वह स्वीकृत किया जावे.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्यमंत्री ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि जो विषय नेता प्रतिपक्ष जी ने रख दिया, जो विषय रिकार्ड में आ गया उस पर आपकी व्यवस्था आना है लेकिन इन्होंने तो भाषण शुरू कर दिया. इस पर श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में तय हुआ और कार्यमंत्रणा समिति में भी तय हुआ था. इस पर संसदीय कार्यमंत्री द्वारा कहा गया कि इस विषय का पटाक्षेप हो गया, कथन असत्य है कार्यमंत्रणा समिति में ऐसा कोई विषय तय नहीं हुआ इस पर डॉ. गोविंद सिंह जी द्वारा अनुरोध किया गया कि आसंदी इस मामले में अपना निर्णय दे. संसदीय कार्यमंत्री द्वारा कहा गया कि इस मामले में केस लगाया, एनएसए लगाया, बुलडोजर चलाया, आरोपी को जेल भेजा, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने चरण पखारे वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया लेकिन कांग्रेस को वोटों की राजनीति करनी है इनको आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है.

आसंदी द्वारा व्यवस्था दी गई कि शून्यकाल के दरम्यान नेता प्रतिपक्ष ने बोलने की अनुमति चाही मैंने उन्हें अनुमति दी और उनकी बात आ गई. एक विषय को लेकर हर व्यक्ति खड़ा होगा तो यह ठीक नहीं है. नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कह दी अब उस विषय में हमें विचार करने के लिए छोड़ दीजिये कि क्या होगा और कार्यमंत्रणा समिति में इस विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ है यह मैं कह रहा हूं. साथ ही कार्यमंत्रणा समिति में जो तय किया उसका उल्लेख यहाँ करना ठीक नहीं है.

7. गर्भगृह में प्रवेश

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश

श्री बाला बच्चन, सदस्य के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में गर्भगृह में प्रवेश किया.

व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.09 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12.22 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(व्यवधान एवं नारेबाजी के मध्य सदन की कार्यवाही निरंतर जारी रही)

8. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) डॉ. (कुंवर) विजय शाह, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 पटल पर रखा.

(2) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री ने मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 पटल पर रखा.

(3) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-22 पटल पर रखी.

(4) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) शहपुरा थर्मल पॉवर कंपनी लिमिटेड का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22, एवं

(ख) बाणसागर थर्मल पॉवर कंपनी लिमिटेड का 11 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22

पटल पर रखे.

(5) डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री ने विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 65 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 पटल पर रखा.

(6) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20, एवं

(ख) मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन ग्वालियर, लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा पटल पर रखे.

(7) श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास ने मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 पटल पर रखा.

(8) श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा ने समग्र शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 पटल पर रखा.

9. फरवरी-मार्च, 2023 सत्र की स्थगित बैठक दिनांक 27 मार्च, 2023 की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-13 पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी-मार्च, 2023 सत्र की स्थगित बैठक दिनांक 27 मार्च, 2023 की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-13 पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

10. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2023 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2023 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

11. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 11 जुलाई, 2023 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन, विचार एवं पारण पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	विषय	आवंटित समय
1.	सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023)	30 मिनिट
2.	मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023)	30 मिनिट
3.	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023)	1 घण्टा
4.	मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023)	30 मिनिट
5.	मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023)	30 मिनिट
6.	वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घण्टे 30 मिनिट

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन, विचार एवं पारण पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाईं, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्रों में पारित 6 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों को नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 (क्रमांक 5 सन् 2023)	अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2023
2.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2023 (क्रमांक 6 सन् 2023)	अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2023
3.	मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण विधेयक, 2023 (क्रमांक 3 सन् 2023)	अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2023
4.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023)	अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2023
5.	मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023)	अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2023
6.	ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023)	अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2023

13. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है और यह समस्त लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि ध्यानाकर्षण की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी और संबंधित मंत्री का वक्तव्य पटल पर रखा हुआ माना जाएगा तथा कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा. तद्नुसार -

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में सरसों खरीदी में अनियमितता संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का लिखित वक्तव्य.

(2) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली में स्वीकृत महाविद्यालय भवन का निविदा के बाद निर्माण न होने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का लिखित वक्तव्य.

(3) सर्वश्री पी.सी. शर्मा, ओमकार सिंह मरकाम, सदस्यगण की रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन लेट होने से प्री नर्सिंग परीक्षा में परीक्षार्थियों के परीक्षा देने से वंचित होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का लिखित वक्तव्य

(4) श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सदस्य की रतलाम नगर निगम द्वारा पंजीयन शुल्क के साथ अतिरिक्त शुल्क की वसूली की राशि नगर निगम को न दिये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का लिखित वक्तव्य.

कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश, नारेबाजी एवं व्यवधान से कार्यवाही बाधित होने के कारण आसंदीय घोषणानुसार पढ़े हुए माने गए.

14. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 182-बड़वाह से निर्वाचित सदस्य, श्री सचिन बिरला को विधान सभा के जुलाई, 2023 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

15. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री लक्ष्मण सिंह
(2) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
(3) श्रीमती नन्दनी मरावी
(4) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी
(5) श्रीमती कृष्णा गौर

16. प्रतिवेदन की प्रस्तुति.

श्री बहादुर सिंह चौहान, सभापति ने कृषि विकास समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

17. वक्तव्य.

श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2023 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्रमांक 3010) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

18. शासकीय विधि विषयक कार्य.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, गृह मंत्री ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

19. अध्यक्षीय घोषणा
विधान सभा परिसर स्थित मंदिर में भण्डारे का आयोजन किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि विधान सभा परिसर में दुर्गा शिव मंदिर प्रांगण में कल से प्रारंभ अखण्ड रामायण पाठ का आज समापन है. इस अवसर पर विधान सभा परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया है. मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भंडारे में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने का कष्ट करें.

अपराह्न 12.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 12 जुलाई, 2023 (21 आषाढ़, शक सम्वत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 11 जुलाई, 2023